भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-925
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी की संस्थापना

925. श्री गौरव गोगोई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान में बिहार और असम सहित पूर्वी क्षेत्र के किसी भी राज्य में उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाला कोई ताप विद्युत संयंत्र नहीं है, जबकि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तत्संबंधी प्रगति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में उक्त संयंत्रों द्वारा SO_2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) स्थापित करने के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त संयंत्रों में एफजीडी की स्थापना हेतु राज्य-स्तरीय नियामक निकायों द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और झारखंड सहित, में अवस्थित ताप विद्युत संयंत्र, एमओईएफएंडसीसी अधिसूचना दिनांक 05.09.2022 द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के उन्नयन और संस्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए, ताप विद्युत संयंत्र फ़्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरण संस्थापित कर रहे हैं, जिसके लिए एमओईएफएंडसीसी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अनुपालन की समय-सीमाएं (बंद न किए जाने वाली इकाइयों के लिए) निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	समय-सीमा
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार)	दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-पहुंच वाले शहरों के 10 किमी के दायरे में (सीपीसीबी द्वारा परिभाषित)	दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल शहरों के अलावा	दिनांक 31 दिसंबर, 2026 तक

विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के बाद गैर-अनुपालन के लिए, एमओईएफएंडसीसी ने बंद न किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों पर निम्नलिखित पर्यावरण मुआवजा निर्धारित किया है:

समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालक संचालन	पर्यावरणीय मुआवज़ा (रूपये प्रति यूनिट बिजली उत्पादन)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे भी आगे	0.40

राज्यों में उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा की जा रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) टीपीपीज़ द्वारा एफजीडी की संस्थापना की प्रगति की निगरानी में सीपीसीबी की सहायता करता है। एफजीडी संस्थापना के सभी चरणों, व्यवहार्यत नामत: शुरू किए गए अध्ययन, पूर्ण किए गए व्यवहार्यता अध्ययन, बनाए गए निविदा विनिर्देशों, जारी किए गए एनआईटी, अवार्ड की गई बोलियां और कमीशन किए गए एफजीडी के लिए निगरानी की जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO_2 उत्सर्जन मापदंडों का अनुपालन करने की समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है।

****